भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2870
उत्तर देने की तारीख 12.12.2024

पीएमईजीपी के अंतर्गत राजसहायता

2870. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में आवेदकों को ऋण देने वाले बैंकों के बड़ी संख्या में दावों के लिए राजसहायता जारी नहीं की गई है; और

(ख) क्या यह सच है कि पीएमईजीपी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को दावा करने के 24 घंटों के भीतर राजसहायता जारी की जाएगी, यदि हां, तो इसे जारी न किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के लिए उपलब्धि निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**उपलब्धि**	
	इकाइयों की संख्या	**एमएम सब्सिडी (लाख रु. में)**
2021-22	5972	16445.76
2022-23	6140	17891.66
2023-24	6814	19871.81

वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट की कमी के कारण 20.73 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी से जुड़े 417 दावे लंबित हैं।

(ख): एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। स्कीम के अंतर्गत, केवीआईसी, मार्जिन मनी सब्सिडी दावों का सत्यापन और वैधता प्रदान करता है तथा दावे सही होने की स्थिति में 3 कार्य दिवसों के भीतर वित्तपोषक बैंक को मार्जिन मनी जारी करने के लिए नोडल बैंक को अग्रेषित करता है। नोडल बैंक, केवीआईसी द्वारा मान्य मार्जिन मनी सब्सिडी दावा राशि को इसकी मान्यता प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर संबंधित वित्तपोषक बैंक शाखा में अंतरित कर देगा।

*****